

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

पारसल भेजने के नाम पर हुये फ्रॉड के 32000/- रूपया वापस कराया गया।

पूर्व की घटना- दिनांक 01.03.2024 को आवेदक अनिल कुमार पुत्र शिवनरायन निवासी मोहल्ला चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर हव्वाट्स ऐप के माध्यम से मोबिल आयल बिक्री करने हेतु कॉल आया जिस पर आवेदक द्वारा कुल 32,000/- रूपये का मोबिल आयल आर्डर किया गया, परन्तु रूपये भेजने के पश्चात न तो पार्सेल आया और ना ही आवेदक का आर्डर किया गया मोबिल आयल।

➡ आवेदक के प्रा0 पत्र पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम एवं थाना स्थानीय की साबर टीम द्वारा साइबर हेल्प की वेबसाइट (cybercrime.gov.in) पर आवेदक का विवरण रजिस्टर कर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के खाते को फ्रिज कराया गया।

रूपये वापसी का विवरण- दिनांक 05.07.2024 को कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम एवं थाना स्थानीय की साबर टीम द्वारा आवेदक अनिल कुमार पुत्र श्री शिवनरायन निवासी मोहल्ला चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के फ्रॉड हुए 32000/- रूपये बैंक व साइबर सेल की मदद से जाँचोंपरान्त आवेदक अनिल कुमार के खाते में वापस कराया गया है।

पुलिस टीम-

मेहताब आलम कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

म0का0 दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

गैर इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.06.2024 को वादी मुकदमा नितेश पुत्र त्रिवेणी कुमार ग्राम मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि विपक्षियों 1.प्रमोद पुत्र जैतू राम 2. लालचन्द पुत्र जैतू राम 3.विक्रम पुत्र अमरनाथ 4. धर्मेन्द्र पुत्र फूलचन्द 5. सन्तोष पुत्र फूलचन्द 6. रौनक पुत्र प्रमोद समस्त निवासी ग्राम मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा वादी के परीवार वालों को लाठी डण्डो से मारा पीटा गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 169/24 धारा 323,308,504,506,34 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान मारपीट घायल सुर्मिला की मृत्यु के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 06.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक दिदारगंज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.धर्मेन्द्र पुत्र फूलचन्द उम्र करीब 40 वर्ष 2.लालचन्द पुत्र जैतू राम उम्र करीब 45 वर्ष समस्त निवासी ग्राम मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज आजमगढ़ को पल्थी बाजार से समय करीब 7.25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.धर्मेन्द्र पुत्र फूलचन्द उम्र करीब 40 वर्ष 2.लालचन्द पुत्र जैतू राम उम्र करीब 45 वर्ष साकिनान ग्राम मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 169/24 धारा 323,308,504,506,34 भादवि0 थाना दिदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 दीदारगंज अखिलेश कुमार, का0 दीपक कुमार यादव, का0 राजकुमार, म0का0 पूनम कुशवाहा थाना दीदारगंज आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 29.06.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया की 01 बाल अपचारी ने वादी की पूत्री के साथ द्वारा दुष्कर्म किया तथा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 251/2024 धारा 376/504/506 भादवि0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट बनाम बाल अपचारी एवं अन्य 05 के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 06.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को माध्यमिक विद्यालय अमिलो के पास से समय करीब 09.15 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 251/2024 धारा 376/504/506 भादवि तथा 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम– प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार, का0 शैलेश यादव, का0 मनीष यादव, का0 संदीप शर्मा, म0का0 मनीषा भारती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़। (शादे वस्त्रों में)

थाना- कोतवाली

आयकर कार्यालय में चोरी का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 05.07.2024 को वादी मुकदमा मुस्ताक अहमद चौकीदार आयकर कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 04.07.2024 की रात्रि में आयकर कार्यालय, आजमगढ़ में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किये जाने का असफल प्रयास किया गया तथा वादी द्वारा आवाज देने पर वे सब भाग गये, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 397/24 धारा 303/62 बीएनएस दर्ज किया गया।

➡ उपरोक्त घटना के अनावरण के लिये उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, कां0 गौरव जायसवाल, कां0 बसन्त लाल, कां0 संदीप विश्वकर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़ की एक टीम गठित की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 06.07.2024 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त देवराज प्रधान पुत्र स्व0 दिलीप प्रधान नि0 गोरका बिला वार्ड नं0 30 दार्जिलिंग जनपद दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल उम्र 30 वर्ष को ठन्डी सड़क पार्क से नियमानुसार समय करीब 09:25 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 लोहे की सुम्मी, लोहे की 01 हथौड़ी , 01 पेचकसनुमा छेनी, 02 मोबाईल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- देवराज प्रधान पुत्र स्व0 दिलीप प्रधान नि0 गोरका बिला वार्ड नं0 30 दार्जिलिंग जनपद दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी- लोहे की 01 सुम्मी, लोहे की 01 हथौड़ी , 01 पेचकसनुमा छेनी, 02 मोबाईल फोन

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 397/ 24 धारा 303/62 BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द , कां0 गौरव जायसवाल, कां0 बसन्त लाल, कां0 संदीप विश्वकर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना तहबरपुर

युवती को शादी का झांसा देकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 01.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त 1- गगन यादव पुत्र मिलन यादव व 2- अजय पुत्र गोविन्दा समस्त निवासी ग्राम जमालपुर मधशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 149/2024 धारा 366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मानचन्द्र यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 06.07.2024 को उ0नि0 मानचन्द्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गगन यादव पुत्र मिलन यादव सा0 जमालपुर मधशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को टीकापुर तिराहे से समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार कर युवती को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 149/2024 धारा 363,366 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- गगन यादव उर्फ अर्जुन पुत्र मिलन यादव सा0 जमालपुर मधशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मानचन्द्र यादव, का0 ताहिर अली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी
अश्लील फोटो बनाकर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 03.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी मोहम्मद नवील पुत्र इरशाद अहमद निवासी मोहल्ला तकिया थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ ने आवेदिका से अपना नाम छिपाते हुए वादिनी की कोल्डड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर अश्लील फोटो बना लिया जिसे वायरल करने व जान से मारने की धमकी दे रहा है। वादिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 243/24 धारा 419/328/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 11/12 पाक्सो एक्ट बनाम मोहम्मद नवील पुत्र इरशाद अहमद निवासी मोहल्ला तकिया थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार द्वारा की जा रही है।

➔ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्यों के आधार पर धारा 376, 384, 504 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट की बृद्धि करते हुए धारा 11/12 पाक्सो एक्ट की घटोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 06.07.2024 को निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद नवील पुत्र इरशाद अहमद निवासी मोहल्ला तकिया थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को शाहगढ़ चौराहे से समय करीब 12:40 बजे गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 243/24 धारा 419/328/376/384/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- मोहम्मद नवील पुत्र इरशाद अहमद निवासी मोहल्ला तकिया थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी- 01 मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- नि0अ0 अनुराग कुमार, कां0 दीपक पासवान थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना निजामाबाद
चोरी मोटर साइकिल के पार्ट के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 28.06.2024 को वादी मुकदमा रविन्द्र यादव पुत्र रामअवध यादव ग्राम जायमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की मोटर साइकिल फरिहा बाजार से चोरी हो गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 327/24 धारा 379 IPC पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुधीर पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 06.07.2024 को व0उ0नि0 सविन्द्र राय, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह सेन्टरवा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1-राकेश गौड पुत्र लल्लन गौड निवासी कस्बा निजामाबाद आजमगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष को चोरी की गाडी के पार्ट्स के साथ हिरासत में लिया गया।

➔ गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने उक्त मोटर साइकिल फरिहा बाजार से चुराई थी, जिसके पार्ट्स अपने साथियों को बेच दिया है। अभियुक्त ने बताया कि उसके 04 अन्य साथियों को सोफीपुर पुलिया चोरी का अन्य सामान लेकर अभियुक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी लोग साथ मिलकर चोरी का सामान बेचने आस पास के जिलों में जाकर बेचते हैं। अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के 04 साथियों 2- यशवन्त उर्फ भाटे पुत्र राममिलन निवासी खतीरपुर डंडवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 35 वर्ष, 3- कैलाश पुत्र बृजबिहारी निवासी सहरिया थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ उम्र लगभग 29 वर्ष, 4- शुभम पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मण्डी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ उम्र लगभग 30 वर्ष, 5- प्रेमचन्द चौहान पुत्र कल्पनाथ चौहान निवासी ग्राम मिट्टनपुर हादी अली थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र लगभग 46 वर्ष को सोफीपुर पुलिया से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर चोरी की मोटर साइकिल के पार्ट्स को बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 327/24 धारा 379, बढोत्तरी धारा- 411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राकेश गौड पुत्र लल्लन गौड निवासी कस्बा निजामाबाद आजमगढ़
2. यशवन्त उर्फ भाटे पुत्र राममिलन निवासी खतीरपुर डंडवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. कैलाश पुत्र बृजबिहारी निवासी सहरिया थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़
4. शिवम पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मण्डी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़
5. प्रेमचन्द चौहान पुत्र कल्पनाथ चौहान निवासी ग्राम मिट्टनपुर हादी अली थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- सुपर स्पेलेण्डर मोटर साईकिल UP50AS8463 के पार्ट्स

आपराधिक इतिहास-

1. राकेश गौड पुत्र लल्लन गौड निवासी कस्बा निजामाबाद आजमगढ़

मु0अ0सं0 327/24 धारा 379/411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2. यशवन्त उर्फ भाटे पुत्र राममिलन निवासी खतीरपुर डंडवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 327/24 धारा 379/411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 40/08 धारा 379/411 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 123/08 धारा 380 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 202/08 धारा 307/41/411/419/420/467/468 IPC, 3/25 Arms Act व 7 CLA थाना सरायमीर आजमगढ़

मु0अ0सं0 204/08 धारा 4/25 Arms Act थाना सरायमीर आजमगढ़

मु0अ0सं0 206/08 धारा 307/41/411/419/420/467/468 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 208/08 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 08/12 धारा 110 (G) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

3. कैलाश पुत्र बृजबिहारी निवासी सहरिया थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़

मु0अ0सं0 327/24 धारा 379/411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद

4. शिवम पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मण्डी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़

मु0अ0सं0 327/24 धारा 379/411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद

5. प्रेमचन्द चौहान पुत्र कल्पनाथ चौहान निवासी ग्राम मिट्टनपुर हादी अली थाना निजामाबाद आजमगढ़

मु0अ0सं0 327/24 धारा 379/411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सविन्द्र राय 2. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय 3. हे0का0 सुभाष यादव 4. राकेश यादव 5. का0 सुमित सिंह

6. हे0का0 अरविन्द कुमार यादव 7. का0 कमलेश कुमार थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।